(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

अधिसूचना सं. 16 /2025–26
नई दिल्ली, दिनांकः 31 मई , 2025

विषयः आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर के लिए आयात अवधि को बढ़ाने के संबंध में।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 08.12.2023 की अधिसूचना सं. 50/2023, दिनांक 23.02.2024 की अधिसूचना संख्या 61/2023, दिनांक 05.04.2024 की अधिसूचना संख्या 04/2023, दिनांक 08.05.2024 की अधिसूचना सं. 12/2024–25, दिनांक 13.09.2024 की अधिसूचना संख्या 29/2024–25, दिनांक 24.12.2024 की अधिसूचना संख्या 43/2024–25 और दिनांक 10.03.2025 की अधिसूचना संख्या 63/2024–25 के क्रम में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आइटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली मटर के लिए मौजूदा आयात नीतिगत शर्त जो कि दिनांक 31 मई, 2025 तक वैध है को दिनांक **31 मार्च, 2026 तक बढ़ाती है।** अन्य सभी नियम और शर्तें उपर्युक्त संदर्भित अधिसूचनाओं के अनुसार समान रहेंगे।

अधिसूचना का प्रभावः

आइटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर का आयात एमआइपी शर्त के बिना और पत्तन प्रतिबंध के बिना सभी आयात खेप, जहां लदान बिल (पोतलदान किया गया) दिनांक **31 मार्च, 2026** को या इससे पहले जारी किया गया है, के लिए तत्काल प्रभाव से आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण के अध्यधीन 'मुक्त' है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अजय भादू)
महानिदेशक विदेश व्यापार
अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा.सं. एम–5012/300/2002/पीसी–2[ए]पार्ट–VI/ई–9019 से जारी)